भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1792
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)
मिजोरम में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1792. श्री रिचर्ड वनलालह्मंगइहा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिजोरम राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्य में ग्रामीण विकास कार्यों के निष्पादन को प्रभावित करने वाली कोई लंबित देयताएं या निधि की कमी है या इस संबंध में संपरीक्षा संबंधी टिप्पणी की गई है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय मिजोरम राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) , प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) , दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई) , ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) , राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलग्रहण विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार मिजोरम सहित देश भर में इन प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन की एक व्यापक बहु-स्तरीय और बहु-प्रारूप प्रणाली विकसित की है , जिसमें निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें , जिला विकास

समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएं , सामान्य समीक्षा मिशन , समवर्ती मूल्यांकन और प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं। राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षा भी समय-समय पर की जाती है और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। योजनाओं को समग्र लेनदेन-आधारित एमआईएस पर लाया गया है , जो सभी हितधारकों को वास्तविक समय के आधार पर योजनाओं की स्थिति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। कार्यों की जियो-टैग और टाइम-स्टैंप मुहर के साथ फोटो ली जाती है। ग्रामीण विकास योजनाओं का सभी डेटा सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पीएमएवाई-जी जैसी कुछ योजनाओं के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा भी की जाती है। मनरेगा कार्यों के संबंध में किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकपाल भी नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में शिकायत निवारण पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। निधि जारी करने के प्रस्तावों और दस्तावेजीकरण के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित समन्वय किया जाता है और इस संबंध में उन्हें समय पर सलाह दी जाती है। देरी के मामलों में, निधि जारी करने की मांग के लिए मामले को उच्च स्तर पर देखा जाता है।

(ग) और (घ): उपर्युक्त सभी योजनाएं/कार्यक्रम मिजोरम सहित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को निधि का आवंटन एक निरंतर प्रक्रिया है। निधि का आवंटन उनके पास उपलब्ध निधि के शेष , योजनागत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों/उपयोग प्रमाण पत्र की प्रस्तुति , योजनाओं के तहत पहले से आवंटित निधि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना और प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का सख्त पालन सुनिश्चित करना और जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करना , को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

मनरेगा के तहत , मजदूरी भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है। मजदूरी के भुगतान के लिए स्वीकृति मंत्रालय द्वारा उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों से निधि हस्तांतरण आदेश प्राप्त होने के बाद पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से दैनिक आधार पर जारी की जाती है। तदनुसार , निधि जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अद्यतन होती रहती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में , यदि कोई हो, तो पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियों की भारत सरकार द्वारा विधिवत प्रतिपूर्ति की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 तक की सभी देय और स्वीकार्य लंबित मजदूरी देनदारियां पहले ही निपटा दी गई हैं। दिनांक 04.02.2026 तक, मिजोरम के संबंध में मजदूरी घटक के लिए

लंबित देनदारियां 22.63 करोड़ रुपये हैं। इसके अलावा , वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (04.02.2026 तक) के दौरान मिजोरम को मजदूरी घटक के लिए 548.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसी प्रकार, मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत योजना की शुरुआत से अब तक मिजोरम राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में 319.01 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा , वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं एसएनए मॉडल से एसएनए-स्पर्श मॉडल में स्थानांतरित हो गई हैं। इसके लिए आवाससॉफ्ट और राज्य-आईएफएमआईएस के अनुकूलन की आवश्यकता है। मिजोरम राज्य को एसएनए-स्पर्श के तहत 1 लाख रुपये की टोकन राशि की मूल स्वीकृति जारी की गई है जबकि उसे अभी तक एसएनए-स्पर्श पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग पूरी करनी है। इसके अलावा , पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए , राज्य के साथ स्वीकृत और जारी कार्यों , राज्य की निष्पादन क्षमता और राज्य के पास उपलब्ध अव्ययित शेष निधि के आधार पर राज्यों को निधि आवंटित की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसएनए-स्पर्श के माध्यम से राज्य को 150.84 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृति जारी की गई है , जिसमें से राज्य ने 44.38 करोड़ रुपये की निधि का उपयोग किया है। इस प्रकार , कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए राज्य के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध है।

मिजोरम राज्य में डीएवाई-एनआरएलएम , डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई योजनाओं के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली कोई लंबित देनदारियां नहीं हैं।

*****